रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--21 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—21

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-सा.-04102021-230126
CG-KA-W-04102021-230126

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 2—अक्तूबर 8, 2021 (आश्विन 10, 1943)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 2—OCTOBER 8, 2021 (ASVINA 10, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	591
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	693
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	2293
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	2489
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	365
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	1891
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	591
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	693
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2293
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2489
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	365
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1891
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2021

सं. 175-प्रेस/2021—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2021 के अवसर पर, कमांडेंट (जे जी) शंकर राजू (1595-एक्स) को वीरता के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

भारतीय तटरक्षक पोत वैभव को कोलंबो के पास लंगर डालकर रोक रखे हुए 'एमवी एक्स-प्रेस पर्ल' पोत पर लगी आग को बुझाने में श्रीलंकाई प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करने का निदेश दिनांक 25 मई, 21 को लगभग 1030 बजे दिया गया। नियमित पदाधिकारी की अनुपस्थिति में पोत की कमान में रहे कमांडेंट (जेजी) शंकर राजू ने भंयकर चक्रवाती तूफान 'यास' के कारण 55 नॉट पर चल रही हवाओं के साथ उग्र एवं तूफानी समुद्री परिस्थिति का सामना करते हुए जल रहे पोत के पास पहुंचा। एमवी एक्स-प्रेस पर्ल पूरी तरह से लदा हुआ था, जिसमें 40 टन नाइट्रिक एसिड, प्लास्टिक पेलैट आदि सहित शक्तिशाली विस्फोटक हानिकारक रासायनिक कार्गो वाले 1486 कंटेनर और औसतन 400 मेट्रिक टन ईंधन था। अफसर ने रात को भीषण गर्मी एवं हानिकारक धुएं के बीच संकटग्रस्ट पोत के चारों ओर बहते अध-डूबे कंटेनरों से भरे पड़े नौचालन वर्जित क्षेत्र से गुजरते हुए पोत का साहसपूर्वक युक्तिचालन किया और अग्निशमन कार्य प्रारंभ किया।

2. भारतीय तटरक्षक पोत वैभव मौके पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम भारतीय तटरक्षक पोत था और कमांडेंट (जेजी) शंकर राजू के अनुकरणीय साहस एवं दृढ़ संकल्प टग एवं ओएसवी सहित अन्य पोतों के लिए विश्वासवर्धक साबित हुआ है जो मौके पर बहुत पहले पहुंचे थे, परंतु विस्फोट या नौचालन संबंधी दुर्घटना के भय से जल रहे पोत के नजदीक जाने में संकोच कर रहे थे। आग बुझाने का प्रयास 29 मई, 21 तक जारी रहा। अफसर ने सभी कठिनाइयों के विरुद्ध उल्लेखनीय साहस और पूरे अभियान के दौरान अग्निशमन में शामिल अपने दल एवं अन्य पोतों को प्रेरित करने में असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। उनके कार्य की वजह से एक बड़ी समुद्री पारिस्थितिक आपदा को रोका जा सका एवं पड़ोसी देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सका।

3. कमांडेंट (जेजी) शंकर राजू (1595-एक्स) ने अत्यधिक खतरे का सामना करते हुए स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है।

4. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (वीरता) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है जोकि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है ।

फसं. सीए II-18007/1/2020-सीए-II

एस एम समी
अवर सचिव

सं. 176-प्रेस/2021—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2021 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

(i) उप महानिरीक्षक अनिल कुमार तालेमोगारु (0224-जे)

(ii) उप महानिरीक्षक सुंदरम बाबू वेंकटेश (0330-एक्स)

(iii) हरविंदर सिंह, प्रधान अधिकारी (राइटर), 01133-जेड

2. सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(ii) के तहत तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा) प्रदान किया जाता है जोकि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है ।

फसं. सीए II-18007/1/2020-सीए-II

एस एम समी
अवर सचिव

अंतरिक्ष विभाग

संकल्प

बेंगलूरु, दिनांक 6 सितंबर 2021

सं. डी.एस.-3पी.-16011/1/2020-अनु.3.—भारत सरकार ने सभी प्रकार के अंतरिक्ष क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को 24 जून 2020 को मंजूरी दी।

जबकि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि विस्तृत कानून का क्रियान्वयन होने तक भारत में गैर-सरकारी निजी इकाइयों (एन.जी.पी.ई.) की अंतरिक्ष गतिविधियों को स्वीकृति देने, उनका नियमन करने, संवर्धन करने, मॉनीटरन करने तथा पर्यवेक्षण करने के लिए अंतरिक्ष क्रियाकलापों का संचालन करने वाले एक निकाय का गठन करना तथा उसे प्रचालन योग्य बनाना आवश्यक है।

अत:, भारत सरकार अंतरिक्ष क्रियाकलापों को करने तथा अंतरिक्ष विभाग के स्वामित्व की सुविधाओं का उपयोग करने में एन.जी.पी.ई. को समर्थ बनाने के लिए अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) का गठन करती है।

एक सिंगल विंडो केंद्रीय एजेंसी के रूप में इन-स्पेस अपने स्वयं के संवर्ग के साथ एन.जी.पी.ई. के निम्नलखित क्रियाकलापों का संवर्धन करने, स्वीकृति देने तथा निगरानी करने का कार्य करेगा:

i. अंतरिक्ष क्रियाकलाप कानून के तहत प्रमोचक रॉकेटों तथा उपग्रहों के निर्माण सहित अंतरिक्ष क्रियाकलाप और अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना।

ii. चल रहे क्रियाकलापों का पूरा ध्यान रखते हुए अं.वि./इसरो के नियंत्रणाधीन अंतरिक्ष अवसंरचना तथा परिसरों को साझा करना।

iii. सुरक्षा मानकों तथा संभाव्यता आंकलन के अधार पर अं.वि./इसरो के नियंत्रणाधीन परिसरों में अस्थायी सुविधाओं की स्थापना।

iv. सुरक्षा मानकों तथा अन्य वैधानिक दिशानिर्देशों और आवश्यक अनापत्तियों पर आधारित अंतरिक्ष क्रियाकलापों को करते हुए एन.जी.पी.ई. द्वारा नए अवसंरचना तथा सुविधाओं की स्थापना।

v. प्रमोचक रॉकेट तथा अंतरिक्षयान प्रणालियों, भू तथा प्रयोक्ता खंडों की तैयारी के आधार पर प्रमोचन अभियान तथा प्रमोचन की शुरुआत करना।

vi. एन.जी.पी.ई. द्वारा भारतीय उपग्रह के तौर पर पंजीकरण हेतु अंतरिक्षयान का निर्माण, प्रचालन तथा नियंत्रण तथा इसके लिए सभी संबंधित अवसंरचना तैयार करना।

vii. अंतरिक्षयान आंकड़ों की उपयोगिता तथा अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को आरंभ करना और इसके लिए सभी संबंधित अवसंरचना तैयार करना।

viii. इन-स्पेस प्राथमिकताओं तथा तैयारी के स्तर के आधार पर इसरो, सी.पी.एस.ई. तथा एन.जी.पी.ई. के लिए आवश्यकताओं पर विचार करते हुए समेकित प्रमोचन सूची तैयार करेगा।

ix. इन-स्पेस अंतरिक्ष क्रियाकलापों में एन.जी.पी.ई. की प्रतिभागिता को बढ़ावा देने के लिए संवर्धन एवं हस्त-धारण, प्रौद्योगिकी तथा विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार करेगा।

x. अंतरिक्ष क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए, एन.जी.पी.ई. के लिए पूँजी-प्रधान, उच्च प्रौद्योगिकी सुविधाओं की आवश्यकता होगी। विभिन्न इसरो केंद्रों में फैली इन सुविधाओं का तर्क संगत लागत/निशुल्क रूप से एन.जी.पी.ई. द्वारा प्रयोग करने हेतु अनुमति दी जाएगी।

xi. इन-स्पेस का निर्णय अंतिम होगा तथा वह सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगा।

xii. इन-स्पेस की अध्यक्षता एक सचिव श्रेणी के अधिकारी द्वारा की जाएगी तथा इसमें अंतरिक्ष क्रियाकलापों के लिए तकनीकी विशेषज्ञ होंगे एवं भारत सरकार के अन्य विभागों से सुरक्षा विशेषज्ञ, शिक्षा जगत एवं उद्योग, विधि तथा सामारिक क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसमें होंगे।

भारत सरकार विभिन्न समझौतों, संधियों आदि के तहत देशभर के भीतर सभी प्रकार के अंतरिक्ष क्रियाकलापों के लिए अंतरराष्ट्रीय तौर पर उत्तरदायी होगी। अत:, इन-स्पेस उभरते व्यापक अंतरिक्ष क्रियाकलाप कानून के साथ समान कार्यढ़ाँचे के तहत कार्य करेगा।

संध्या वेणुगोपाल शर्मा
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2021

No. 175-Pres/2021—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2021 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Commandant (JG) Sankar Raju (1595-X).

CITATION

On 25 May 21, at about 1030 hours, ICGS Vaibhav was directed to proceed with dispatch and render assistance to Sri Lankan authorities in extinguishing fire onboard 'MV X-Press Pearl' anchored off Colombo. Comdt (JG) Sankar Raju, in command of the ship in the absence of the regular incumbent, braving rough sea condition with winds gusting upto 55 knots due to the severe cyclonic storm 'YAAS', reached the ship on fire. MV X-Press Pearl was fully laden and carrying 1486 containers with potentially explosive noxious chemical cargo including 40 Ton nitric acid, plastic pellets, etc., and had approximately 400 Metric Ton fuel onboard. The officer courageously manoeuvered the ship through the navigation hazard area of semi-submerged containers floating around the distress vessel, searing heat and noxious smoke at dark hours and commenced firefighting operations.

2. ICGS Vaibhav was the first ICG ship to arrive on scene, and Comdt (JG) Sankar Raju's exemplary courage and steely resolve proved to be a confidence booster for other vessels including tugs and OSVs which had arrived on the scene much earlier but were refraining from approaching close enough to the blazing ship for fear of an explosion or navigational mishap. The firefighting efforts continued till 29 May 21. The officer displayed remarkable composure against all odds and exceptional leadership in motivating his team and other vessels engaged in firefighting throughout the operation. His actions averted a major Marine ecological catastrophe and contributed to further strengthening India's bonds of friendship with neighbours.

3.Commandant (JG) Sankar Raju (1595-X) has accredited himself well in the face of extreme danger and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

4.The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award i.e President's Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989.

F.No. CII-18007/1/2020-CA-II

S. M. SAMI
Under Secretary

No. 176-Pres/2021—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2021 to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers:—

(i) Deputy Inspector General Anil Kumar Talemogaru (0224-J)

(ii) Deputy Inspector General Sundaram Babu Venkatesh (0330-X)

(iii) Harvinder Singh, Pradhan Adhikari (Writer), 01133-Z

2.The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 11(ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service i.e. President's Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989.

F.No. CII-18007/1/2020-CA-II

S. M. SAMI
Under Secretary

DEPARTMENT OF SPACE

RESOLUTION

Bangalore, the 6th September 2021

No. DS_3P-16011/1/2020-Sec.3.— The Government on 24th June, 2020 approved far reaching reforms in the Space sector aimed at boosting private sector participation in the entire range of space activities.

Whereas the Government is satisfied that pending the enactment of a comprehensive legislation it is necessary to constitute and make operational a body governing Space Activities, to permit, regulate, promote, hand-hold, monitor and supervise Space Activities of Non-Governmental Private Entities (NGPEs) in India.

Now, therefore the Government of India do hereby constitute Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN-SPACe) as an autonomous agency in Department of Space (DOS) for enabling space activities, as well as, usage of Department of Space owned facilities by NGPEs.

IN-SPACe, as a single window nodal agency, with its own cadre will promote, permit and oversee the following activities of NGPEs:

i. Space activities including building of launch vehicles & satellites and providing space based services as per the definition of space activities legislation.

ii. Sharing of space infrastructure and premises under the control of DOS/ISRO with due regard to on-going activities.

iii. Establishment of temporary facilities within premises under DOS/ISRO's control based on safety norms and feasibility assessment.

iv. Establishment of new space infrastructure and facilities, by NGPEs, in pursuance of space activities based on safety norms and other statutory guidelines and necessary clearances.

v. Initiation of launch campaign and launch, based on readiness of launch vehicle and spacecraft systems, ground and user segment.

vi. Building, operation and control of spacecraft for registration as Indian Satellite by NGPEs and all the associated infrastructure for the same.

vii. Usage of spacecraft data and rolling out of space based services and all the associated infrastructure for the same.

viii. IN-SPACe shall draw up an integrated launch manifest considering the requirements for ISRO, CPSEs and NGPEs based on priorities and readiness level.

ix. IN-SPACe shall work out a suitable mechanism for promotion & hand holding, sharing of technology and expertise to encourage participation of NGPEs in space activities.

x. In order to carry out the space activities, capital-intensive, high technology facilities will be required by NGPEs. These facilities, spread across various ISRO Centres, shall be permitted for use by NGPE at a reasonable cost/free of cost.

xi. The decision of IN-SPACe shall be final and binding on all stakeholders.

xii. IN-SPACe will be chaired by a Secretary Grade officer and will have technical experts for space activities, Safety experts, experts from Academia & Industries, Legal & Strategic experts from other departments of Government of India.

Government of India is internationally responsible for all the space activities within the country under various conventions, treaties etc., IN-SPACehence shall function under the same framework along with the upcoming comprehensive Space Activities legislation.

SANDHYA VENUGOPAL SHARMA
Jt. Secy.

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054